वित्तीय दिशा–निर्देश

कार्यक्रम का नाम– : MTP Services at Health Facilities (YUKTI yojana Accreditation of public and private sector for providing safe Abortion services)

बजट क्रम संख्या /एफ०एम०आर० कोड संख्या– A.1.1.3

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण –

(A) सुरक्षित गर्भपात सेवाओं के लिये अधिकृति योजना : युक्ति योजना

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, अधिकृति का अर्थ है वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत इस अधिकृति योजना में सम्मिलित होने के इच्छुक निजी स्वास्थ्य संस्थानों का निर्धारित मानकों पर आकलन किया जाएगा तथा उपयुक्त स्वास्थ्य संस्थान को निम्न लिखित सेवाएं प्रदान करने के लिये मान्यता दी जाएगी और अधिकृति दिशा निर्देश के अनुसार शुल्क प्रदान किया जाएगा।

इस योजना में निम्न सेवाओं का प्रावधान है :

- प्रथम तिमाही तक गर्भपात सेवाएं
- अपूर्ण गर्भपात के केसों का इलाज करना
- गर्भपात की जटिलताओं का इलाज व आव यकता पड़ने पर रेफरल प्रदान करना (महिला की हालत को स्थिर करने के बाद)

Reimbursement of Service Providers (Private Nursing Homes) – Yukti Yojana

1	First Trimester Abortion Services	per case	500/-
2	Treatment of First Trimester Incomplete Abortion	Per Case	750/-
3	Treatment of Abortion Complication	Per Case	750/-
4	Stabilization before Referrals in case of complications	Per Case	300/-
5	Transport subsidy to community health intermediaries (ASHA/ANM/AWW/Health Worker) accompanying women.	Per case	150/-

प्रत्यायित राशि प्रदान करना

प्रत्यायित राशि राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति को हस्तांतरित की जायेगी जिसे जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा निजी स्वास्थ्य केन्द्र को सुनिश्चित दरों पर भुगतान किया जाना है। निजी स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा निम्न विकल्पों में से किसी एक को चुना जा सकता है ।

1 इनवॉइस के साथ प्रति माह क्षतिपूर्ति राशि अथवा

2 बैंक गारंटी के एवज में दिया जाने वाला अग्रिम धन। बैंक गारंटी राष्ट्रीयकृत बैंक से हो ।

(a) सेवाएं प्रदान करने के एवज में इनवॉइस द्वारा प्रति माह प्राप्ति

- निजी स्वास्थ्य स्वास्थ्य को उनके द्वारा हर माह दी गई सेवाओं के ऐवज में इनवॉइस बनानी होगी जिसे हर महीने की 7 तारीख तक उसे सिविल सर्जन, सदस्य सचिव के पास जमा करवाना होगा ।
- सदस्य सचिव, जिला प्रत्यायन समिति [District Accreditation Committee- (DAC)] द्वारा इस संबंध में धन प्रदाय को लेकर कार्य करते हुए, 75 प्रतिशत राशि इनवॉइस के प्राप्त होते ही दे देंगें और शेष 25 प्रतिशत राशि इनवॉइस के सत्यापन के पश्चात् दी जायेगी। बची हुई 25 प्रतिशत की राशि को इनवॉइस प्राप्ति के 6 सप्ताह के भीतर भुगतान की जानी है।

(b)प्रदत्त सेवाओं के एवज में जमा किये गए इनवॉइस के आधार पर अग्रिम राशि की पुनः पूर्ति के लिये मांग

- कोई भी अधिकृत निजी स्वास्थ्य संस्थान, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से जिला स्वास्थ्य समिति

S Kumar

को गारंटी देकर 50,000 रूपये की अग्रिम राशि मांग सकता है. ।

- निजी स्वास्थ्य केन्द्र उसमें से 80 प्रतिशत राशि को खर्च करने के पश्चात, दी गई सेवाओं के एवज में एक इनवॉइस बनाकर (परिशिष्ट 9 में प्रारूप है) मुख्य चिकित्सा अधिकारी / सिविल सर्जन को दिया जायेगा।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन इनवॉइस मिलते ही 75 प्रतिशत राशि का भुगतान कर सकते हैं। शेष 25 प्रतिशत राशि इनवॉइस के प्रमाणीकरण के बाद दी जा सकेगी जिसके भुगतान की प्रकिया इनवॉइस मिलने के छः हफ्ते के अंदर पूर्ण की जानी है।
- यदि किसी निजी स्वास्थ्य संस्थान की मान्यता को समाप्त किया जाता है या एमओयू को रद्द कर दिया जाता है, तब उस निजी स्वास्थ्य संस्थान द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति के पास जमा किये गए अंतिम इनवॉइस को जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा अनुमोदन किये जाने के बाद प्रदान किया जाएगा। शेष अग्रिम राशी जिला स्वास्थ्य समिति को वापस करना होगा। बैंक गारंटी का पत्र निजी स्वास्थ्य संस्थान को अग्रिम व अन्य खर्चों के भुगतान के चार सप्ताह के बाद वापस दे दिया जाएगा।

(B)राज्य में MTP Services (Safe Abortion Servcies) अर्थात सुरक्षित गर्भसमापन संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु निजी नर्सिंग होम्स को एम0टी0पी0 एक्ट के अनुसार जिलें में गठित एम0टी0पी0 हेतु जिला स्तरीय कमिटी द्वारा अनुमोदन दिया जाना है ।
सभी इच्छुक निजी स्वास्थ्य संस्थानों का निर्धारित मानकों पर आकलन किया जाएगा तथा उपयुक्त प्राइवेट नर्सिंग होम्स को सुरक्षित गर्भसमापन संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिये मान्यता दह जानी है ।

For providing MTP services from private health facilties			
Sl.No.	Particulars	Details of cost	Total Amount (in Rs.)
1	Advertisement in newspaper for submission of Form A x 2 times in a year in all 38 districts	Rs.10,000 x 2 times per districts	20,000
2	Organising DLC meeting on a quarterly basis in all (38)districts in every quarter	Rs. 2000x 1 time x 4 qtrs/ per distt	8000
3	Fund allotted for mobility support for verification of private sites on a quarterly basis (for one quarter only)	Rs. 1237 x 1 time / per district	1237

1. समाचार पत्रों के माध्यम से प्रत्येक जिले में इच्छुक प्राइवेट नर्सिंग होम्स को Form A में अपने निजी नर्सिंग होम्स की विवरणी भरकर आवेदन देना है, जिला स्तरीय एम0टी0पी0 कमिटि के अनुमोदनोंपरांत ही वे एम0टी0पी0 सेवा नियमानुसार उपलब्ध करा सकते हैं ।

2, प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय एम0टी0पी0 गठित कमिटि की बैठक प्रत्येक क्वार्टर में की जानी है ताकि निजी नर्सिंग होम्स के द्वारा दिये गये आवेदनों जॉच हो तथा निरीक्षण प चात् उन्हें नियमानुसार सुरक्षित गर्भसमापन सेवायें उपलब्ध कराने हेतु अनुमोदन दिया जा सके ।

3, प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय एम0टी0पी0 कमिटि के मनोनित सदस्यों द्वारा आवेदित निजी नर्सिंग होम्स का निरीक्षण किया जाना है तथा निरीक्षण प चात् उपयुक्त पाये जाने पर उन्हें नियमानुसार सुरक्षित गर्भसमापन सेवायें उपलब्ध कराने हेतु अनुमोदन दिया जाना है ।

संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी नाम – डॉ० ए. के., शाही /श्री सुबोध जयसवाल
संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी का फोन नं० : 9470003017 / 9431005971

S Kumar